न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या **3565/2026**

CNR NO-UPFD04019626-2026

दिनांक 11-05-2026

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त आदिल की ओर से मु०अ०सं० 59/2026 धारा-303(2) बी०एन०एस० थाना नारखी, फिरोजाबाद के मामले में जमानत हेतु प्रार्थनापत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त को उक्त केस में झूठा फँसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत प्रदान की जाये।

अभियोजन विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत का विरोध किया गया है।

सुना तथा समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त के विरूद्ध पत्रावली अभियुक्त का आपराधिक इतिहास दर्शित किया गया है जिसके सम्बन्ध में विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थी उपरोक्त दर्शित मुकदमों में जमानत प्राप्त कर चुका है। अतएव मामले की तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त को जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार प्रार्थी /अभियुक्त उपरोक्त द्वारा **20** हजार रूपये का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं इतनी ही राशि की दो जमानतें दाखिल करने पर यदि वह किसी अन्य मुकदमे में वांछित न हो तो उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

(नगमा खान)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट
फिरोजाबाद।
JO CODE No. UP 02445

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,शिकोहाबाद, फिरोजाबाद।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या**- /2021**
CNR NO-UPFD040420352022

आदेश

दिनांक 06-10-2022

प्रार्थी/अभियुक्त हरी सिंह उर्फ हरिया की ओर से मु०अ० सं०-410/1990, धारा- 379 भा०दं०सं० थाना शिकोबादा , फिरोजाबाद में जमानत हेतु प्रार्थनापत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी उपरोक्त केस में अभियुक्त है। उपरोक्त केस में अभियुक्त को झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी ने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। अतः उसे जमानत पर छोड़ दिया जाये।

अभियोजन द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है।

सुना तथा समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। मामले की तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। अभियुक्त द्वारा 20 हजार रूपये का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं इतनी ही राशि की दो जमानतें दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट शिकोहाबाद, फिरोजाबाद।